नियामक फिर सोता रहा और देश में जीएम सोयाबीन की गैर-कानूनी खेती शुरू

"नियामकों और बीज आपूर्तिकर्ताओं पर तुरंत सख्त कारवाई हो परंतु धोखा खाये किसानों को अपराधी न टहराया जाए" कहना है जीएम-मुक्त-देश चाहने वालों का।

नई दिल्ली, 7 नवंबर 2017: गुजरात में गैरकानूनी रूप से जीएम सोयाबीन की खेती का भांडाफोड़ होने के बाद उठे विवाद पर टिप्पणी करते हुये 'जीएम मुक्त भारत के लिए गठबंधन' ने कहा कि **"नियामकों और बीज आपूर्तिकर्ताओं पर तुरंत सख्त कारवाई की जाए परंतु धोखा खाये किसानों को अपराधी न टहराया जाए"**। अनाधिकृत रूप से जीएम सोयाबीन की खेती ने देश पर पहली संशोधित जीन वाली खाद्य फसल थोप दी है। गठबंधन द्वारा आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार "स्पष्ट रूप से देश में नियामक प्रणाली छिन्न भिन्न हो चुकी है। एक के बाद एक बिना अनुमति के अवैध जीएम बीजों की खेती से साफ है कि **मौजूदा नियामक व्यवस्था देश के नागरिकों के हितों की रक्षा नहीं कर सकती।** अगर नियामक ने शुरू में ही बीटी कपास, और फिर गैरकानूनी खरपतवारनाशी सहनशील (HT)बीटी कपास की खेती और देश में जीएम खाद्य पदार्थों के अवैध आयात, के खिलाफ समय रहते सख्त कदम उठाए होते तो हालात इतने खराब नहीं होते। सरकार को पूरी व्यवस्था की ही समीक्षा करनी होगी एवं अंतर-विभागीय तालमेल में व्यापक सुधार करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में किसी अवैध जीएम उत्पाद की खेती या बिक्री न हो।"

हाल ही में किसानों के एक राष्ट्रीय संगठन ने गुजरात राज्य सरकार और केंद्रीय नियामक, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकित समिति (जीईएसी) को गुजरात के अरावली जिले के मोडासा कस्बे के पास के दो गांवों में जीएम सोया की अवैध खेती के बारे में शिकायत दी है। गुजरात सरकार ने तुरंत कारवाई करते हुए बीज के स्टॉक को जब्त किया और उस की जांच कारवाई। जांच में पाया गया कि सोयाबीन का यह बीज आनुवंशिक रूप से संशोधित एवं खरपतवारनाशी सहनशील है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बीज का स्रोत क्या है, और कितने इलाके में इसकी अवैध खेती हो रही है।

जीएम सोया की खेती न केवल हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए एक ऐसा अपरिवर्तनीय राह है जिस से पाँव वापिस नहीं खींचे जा सकते, बल्कि यह भारत के सोयाबीन के किसानों के निर्यात बाज़ार को भी बुरी तरह से प्रभावित करेगी। विश्व बाज़ार में गैर-जीएम सोयाबीन की व्यापक मांग के चलते गैर-जीएम होने के कारण भारत के सोयाबीन को अच्छे दाम मिल जाते थे। अब यह बाज़ार खतरे में है।

विडंबना यह है कि भारत की पहली जीएम फसल, बीटी कपास, का प्रवेश भी बिना अनुमति के अवैध रूप से हुआ था। वर्ष 2001 में गुजरात के हजारों हेक्टेयर में बायोटेक उद्योग द्वारा छद्म और अवैध रूप से बीटी कपास की खेती शुरू करा दी थी। वर्ष 2001 जब बीटी कपास की अवैध खेती के समाचार आए तो जेनेटिक इंजीनियरिंग स्वीकृति समिति (जीईएसी) हक्की बक्की रह गई क्योंकि तब तक बीटी कपास को अनुमति देने के लिए आवश्यक क्षेत्र परीक्षण/अध्ययन पूरे नहीं हुए थे। जीईएसी ने संशोधित जीन सामग्री की पुष्टि के बाद सभी अवैध रूप से उत्पादित जीएम सामग्री को नष्ट करने के आदेश दिये

थे, और ज़रूरी होने पर राज्य सरकार को किसानों से ऐसी सामग्री को खरीद कर के नष्ट करने के लिए कहा था। हालांकि, बाद में, मार्च 2002 में, भारत में व्यावसायिक खेती के लिए बीटी कपास को अनुमति दे दी गई थी। आज तक बीटी कपास के इस अवैध प्रसार के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।

गठबंधन ने कहा कि "दुनिया भर के जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग की यह जानी-मानी रणनीति है कि पहले अवैध रूप से जीएम बीजों को किसानों के बीच फैला दो और फिर इस गैरकानूनी खेती की नियामक से कार्योत्तर मंजूरी प्राप्त करो। यह रणनीति अन्य कई देशों में बार-बार अपनाई गई है और भारत में, बीटी कपास के अलावा, खरपतवारनाशी सहनशील कपास, जो अब लाखों हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, में भी अपनाई गई है। हर बार नियामक व्यवस्था अवाक पाई जाती है। नियामक प्रणाली की अपने जनादेश के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि न नियामक ने पर्यावरण सुरक्षा कानून 1989 (EPA 1989) के नियमों के तहत कारवाई की है और न ही ईपीए 1986 (धारा 15) के उत्तरदायित्व खंड, जिस के तहत 5 साल तक की जेल अथवा 1 लाख तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है, और उल्लंघन जारी रहने पर प्रति दिन 5000 जुर्माने का प्रावधान है, कोई कार्रवाई की है। 1989 के जैव संरक्षण नियमों के उल्लंघन पर किसी के भी खिलाफ कारवाई की कोई जानकारी नहीं है। **समय आ गया है कि कानून को प्रभावी बनाने के लिए नियामक की ज्वाबदेही तय की जाए। इसके अलावा, यह पौध स्पर्शवर्जन (भारत में आयात का नियमन) आदेश 2003, जो भारत में पौधों और पौधों के उत्पादों के आयात और आयात पर रोक का नियमन करता है, का भी स्पष्ट रूप से उल्लंघन है।**

अन्य देशों में खरपतवारनाशी सहनशील जीएम सोयाबीन की खेती से पैदा होने वाली समस्याओं (कृषि-रासायनिक उपयोग में वृद्धि, मृदा स्वास्थ्य दुष्प्रभाव, किसान मित्र जीवों जैसे मधुमक्खी और मोनार्क तितलियों पर प्रभाव, खरपतवारनाशी सहनशील फसलों पर इस्तेमाल किए जाने वाले ग्लाइफोसेट का स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, प्रतिरोधी 'बेकाबू खरपतवारों' की संख्या में वृद्धि, किसानों का कंपनियों के स्वामित्व वाली तकनीक की चक्की के मकड़जाल में फंसना, और घटती पैदावार) का दस्तावेजी इतिहास है। इन के अलावा भारत में तो खरपतवारनाशी सहनशील बीज प्रौद्योगिकी के प्रयोग के गंभीर आर्थिक-सामाजिक प्रभाव भी होंगे क्योंकि इस से गरीब कृषि-परिवारों को खरपतवार निंदाई में मिलने वाले काम में बड़ी कटौती हो जाती है। इस सब को ध्यान में रखते हुये देश की कई आधिकारिक समितियों ने खरपतवारनाशी सहनशील फसलों के खिलाफ बार-बार सिफारिश की हैं।

गठबंधन ने कहा कि "हम भारत सरकार से मौजूदा नियामक तंत्र को कड़ाई से लागू करने और देश में जीएमओ और जीएमओ उत्पादों के आयात के संबंध में विनियमन को कड़ा करने का आग्रह करते हैं। हाल के दिनों में कई समाचारों से पता चलता है कि देश में आयात किए जा रहे, और देश की खाद्य श्रृंखलामें शामिल हो रहे, जीएम खाद्य उत्पाद एफएसएसएआई के नियमों के अनुसार अवैध हैं परंतु इस के बावजूद इन पर कोई कारवाई नहीं की गई है। अभी भी ये अवैध जीएम उत्पाद बाज़ार में उपलब्ध हैं। देशभर के उपभोक्ता जीएम खाद्य पदार्थों के स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। इस लिए **बिना देरी के सरकार को, किसी भी रूप में और किसी भी तरीके से, अवैध रूप से भारत में आने वाले सभी जीएम उत्पादों पर रोक लगानी चाहिए।"**

गठबंधन ने मांग की कि **"तत्काल यह आदेश जारी किए जाने चाहिए कि सभी राज्य सरकारें जमीनी स्तर पर पड़ताल कर के रिपोर्ट भेजें कि कहीं उन के राज्य में अवैध जीएम सोयाबीन की खेती तो नहीं हो रही। जीईएसी को खुद भी अपनी टीम गठित कर के देश भर में अवैध जीएम की खेती की पड़ताल करनी चाहिए और उल्लंघन पर तुरंत कड़ी कारवाई करनी चाहिए।"**

गठबंधन ने चेतावनी दी है कि अगर नियामक संस्था और सरकार तत्काल कार्रवाई नहीं करती तो वह एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
कविता कुरुगंटी 8880067772